R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 7 ♦ फरवरी 28, 2019

वित्त मंत्री की रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के साथ बैठक

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 18 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक की शुरुआत पुलवामा में शहीद सुरक्षा बल के जवानों की याद में दो मिनट का मौन रख कर की।

श्री अरुण जेटली, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बोर्ड के बजट के बाद की बैठक को संबोधित किया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में किए गए विभिन्न सुधारों और नीतिगत उपायों और उसके प्रभावों के बारे में बताया।

बैठक में श्री शिव प्रताप शुक्ला, वित्त राज्य मंत्री, श्री अजय नारायण झा, वित्त सचिव और सचिव (व्यय), श्री अजय भूषण पांडे, सचिव (राजस्व) और श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक परामर्शदाता भी उपस्थित थे।

वित्त मंत्री के साथ बातचीत समाप्त होने के बाद बोर्ड ने अपनी बैठक जारी रखी । बोर्ड ने वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक के परिचालन के अन्य विशिष्ट क्षेत्रों की समीक्षा की। एक सीमित ऑडिट समीक्षा के आधार पर और मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे को लागू करने के बाद, बोर्ड ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिए केंद्र सरकार को ₹ 280 बिलियन का अंतरिम अधिशेष अंतरित करने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक द्वारा अंतरिम अधिशेष अंतरित करने का यह लगातार दूसरा वर्ष है।

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने केंद्रीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एन. एस.विश्वनाथन, डॉ.विरल वी.आचार्य, श्री बी.पी.कानुनगो और श्री महेश कुमार जैन, और रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक – श्री भरत दोशी, श्री सुधीर मांकड़, श्री मनीष सभरवाल, डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती, श्री दिलीप एस.संघवी, श्री सतीश मराठे, श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, सुश्री रेवती अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बैठक में भाग लिया। सरकार के निदेशक श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग भी उपस्थित थे।

मौद्रिक नीति

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018–19

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने 07 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.5 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वनरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थातयी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.5 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी। एमपीसी ने मौद्रिक नीति रुख को भी नपी-तुली सख्ती से तटस्थ में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य- सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीयति के 4 प्रतिशत के मध्यापवधिक लक्ष को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य् से भी है। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46235)

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

सीआईआरपी के अंतर्गत ईसीबी ढांचे में छूट

मौजूदा ईसीबी ढांचे के तहत, ईसीबी की आय जिसे विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये (आईएनआर) में नामित किया जाता है, को घरेलू रूपए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उधार या पुनर्भुगतान के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है। दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कॉरपोरेट ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत रिज़ॉल्यूशन आवेदक को मौजूदा उधारदाताओं को चुकाने के लिए विदेश में उधार लेना आकर्षक लग सकता है। उपरोक्त को देखते हुए, सीआईआरपी के अंतर्गत रिज़ॉल्यूशन आवेदकों के लिए ईसीबी ढाचे के अनुमोदित मार्ग के तहत एंड-युज़ प्रतिबंधों में छूट देने का प्रस्ताव है और उन्हें लक्ष्य कंपनी के रूपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए ईसीबी आय का उपयोग करने की अनुमति देना है।

थोक जमा पर निर्देशों की समीक्षा

जमा बढ़ाने में बैंकों की परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से, यह प्रस्तावित है कि ₹ 2 करोड़ और उससे अधिक के एकल रुपए जमा के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित किया जाए। इसके बाद बैंक पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली में अपने थोक जमा ब्याज दर कार्ड बनाए रखेंगे।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकछत्र (अंब्रैला) संगठन

यूसीबी क्षेत्र को वित्तीय रूप से लचीला बनाने और जमाकर्ताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में एकछत्र संगठन (यूओ) का गठन करने का प्रस्ता व है। यूओ, अपने सदस्य यूसीबी को चलनिधि और पूंजी समर्थन प्रदान करने के अलावा, सदस्यों से साझा उपयोग के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढाँचा स्थापित करने की भी अपेक्षा करेगा ताकि वे अपेक्षाकृत कम लागत पर संचार प्रौद्योगिकी सूचना के क्षेत्र में अपनी सेवाओं को व्यापक बना सकें। यूओ फंड प्रबंधन और अन्य परामर्श सेवाओं को भी प्रदान कर सकता है। यूसीबी क्षेत्र के लिए यूओ के गठन का विचार पहली बार वर्ष 2006 में यूसीबी की पूंजी के संवर्द्धन पर रिजर्व बैंक द्वारा श्री एन. एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में स्थापित कार्यदल द्वारा किया गया था।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को रेटेड जोखिमों के लिए जोखिम भार

सही रेटिंगवाली एनबीएफसी के लिए ऋण के प्रवाह को सुगम बनाने की दृष्टि से, अब यह निर्णय लिया गया है कि कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफसी के लिए बैंकों का रेटेड एक्सपोजर प्रत्याशित रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग के अनुसार उसी तरीके से जोखिम–भारित किया जाएगा जैसा कि कॉरपोरेटो के मामले मे किया जाता है।सीआईसी के लिए एक्सपोजर 100% पर जोखिम भारित बना रहेगा। इस संबंध में दिशानिर्देश फरवरी 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

एनबीएफसी श्रेणियों का संगतिकरण

क्रेडिट इंटरमीडिएट, अर्थात, आस्ति फाइनेंस कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों और निवेश कंपनियों में लगी एनबीएफसी की प्रमुख श्रेणियों को अब एक ही श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा श्रेणियों का प्रस्तावित विलय करने से कई श्रेणियों से उत्पन्न होने वाली जटिलताएं काफी हद तक कम हो जाएगी और यह एनबीएफसी को उनके परिचालन में अधिक से अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। यह संख्या में 99% एनबीएफसी को कवर करेगा। इस संबंध में दिशानिर्देश फरवरी 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, ईसीबी मानदंडों के हाल के युक्तिकरण और उदारीकरण के साथ, एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू विभिन्न नियम संगतिकृत हो गए हैं।

विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सुविधाएं

रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2018 और अगस्त 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्यों में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर विवरण में घोषणा की थी कि फेमा –25 विनियमन के अंतर्गत गैर–निवासियों और निवासियों को विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संबंधी मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। उक्त समीक्षाएं की गई और समीक्षा के बाद, संशोधित दिशा–निर्देशों का एक डाफ्ट टिप्पणी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाला जा रहा है। संशोधित दिशानिर्देशों पर डाफ्ट परिपत्र फरवरी 2019 के अंत तक जारी किया जाएगा।

ऑफशोर रुपी मार्केट पर कार्य बल

विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक उद्घाटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और प्रतिभागियों और विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लाभ उठाने के लिए, ऑफशोर रुपी मार्केट पर कार्य बल स्थापित करने का प्रस्ताव है। कार्य बल ऑफशोर रुपी मार्केट से संबंधित मुद्दों की गहराई से जांच करेगा और उचित नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगा जो रुपये के बाहरी मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए भी कारक है। फरवरी 2019 के अंत तक कार्य बल की रचना और विचारार्थ विषय के बारे में अगला विवरण अलग से जारी किया जाएगा।

ब्याज दर डेरिवेटिव निर्देशों को युक्तिसंगत बनाना

भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए एक संपन्न वातावरण को बढ़ावा देने के अंतिम उद्देश्य के साथ स्थिरता और पहुंच को आसान बनाने के लिए ब्याज दर डेरिवेटिव नियमों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। मार्च 2019 के अंत तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

वित्तीय बेंचमार्क का विनियमन

इसे रिजर्व बैंक द्वारा नियमित वित्तीय उत्पादों और बाजारों से संबंधित बेंचमार्क प्रक्रियाओं के अभिशासन में सुधार के लिए वित्तीय बेंचमार्क के लिए एक विनियामक ढांचा पेश करने के लिए 05 अक्टूबर 2018 की चौथी द्वि–मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में प्रस्तावित किया गया था। सार्वजनिक परामर्श के लिए डाफ्ट दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

कॉरपोरेट ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश

अप्रैल 2018 में कॉर्पोरेट ऋण में किए गए एफपीआई निवेश की समीक्षा के एक हिस्से के रूप में, यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी एफपीआई के पास अपने कॉरपोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो के 20 प्रतिशत से अधिक एकल कॉरपोरेट के लिए एक्सपोज़र नहीं होगा (कॉरपोरेट से संबंधित संस्थाओं के एक्सपोज़र सहित)। एफपीआई को अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करने के लिए मार्च 2019 तक अपने नए निवेश पर इस आवश्यकता से छूट दी गई थी। हालांकि यह प्रावधान एफपीआई को परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन आगे बाजार प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि यह शर्त एफपीआई को बाधित कर रही है। भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार तक एक्सेस के लिए निवेशकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रोत्साहित करने के लिए, अब इस प्रावधान को वापस लेने का प्रस्ताव है। इस आशय का एक परिपत्र फरवरी 2019 के मध्य तक जारी किया जाएगा ।

भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन

रिजर्व बैंक भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित करने की आवश्यकता और व्यवहार्यता की जांच कर रहा है। हितधारकों के परामर्श के लिए इन संस्थाओं के भुगतान संबंधी गतिविधियों को कवर करने वाले व्यापक दिशानिर्देशों पर एक चर्चा पत्र पब्लिक डोमेन में प्रस्तुभत किया जाएगा।

कृषि ऋण की समीक्षा के लिए कार्य समूह

पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण वृद्धि महत्वपूर्ण बनी रही है। इसके बावजूद, कृषि ऋण से संबंधित प्रश्नें जैसे कि क्षेत्रीय असमानता, कवरेज की सीमा, आदि भी बने रहे हैं। पूंजी निर्माण के लिए दीर्घकालिक कृषि ऋण को अधिक गहरा करने का भी प्रश्नी है। इन मुद्दों की जांच करने और व्यावहारिक समाधान और नीतिगत पहल करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्लसयूजी) का गठन किया गया है। (https:// rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46237)

बैंकिंग विनियमन

एमएसएमई क्षेत्र में अग्रिमों की पुनर्रचना – स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 फरवरी 2019 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में अग्रिमों के पुनर्गठन पर जारी परिपत्र दिनांक 01 जनवरी 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018–19 में सूचीबद्ध शर्तों में से एक के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। यह शर्त थी कि उधारकर्ता संस्था पुनर्रचना के कार्यान्वित होने की तिथि को जीएसटी पंजीकृत हो। तथापि यह शर्त जीएसटी पंजीकरण से छूट प्राप्त एमएसएमई पर लागू नहीं होगी। यह स्पष्ट किया गया है कि संदर्भित परिपत्र के अनुसार, जीएसटी पंजीकरण के बिना पुनर्रचना के लिए पात्रता उक्त परिपत्र की तिथि यथा, 1 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार प्राप्त छूट सीमा के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। (https://rbi.org.in/ Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11480Mode=0)

थोक जमाराशि पर अनुदेशों की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 फरवरी 2019 को थोक जमाराशियों को जुटाने के लिए बैंकों को परिचालनगत स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्यत से दिनांक 03 मार्च 2016 के बैंविवि.निदेश.सं.84/13.03.00/2015–16द्वारा जारी जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश में निहित अनुदेशों में संशोधन किया हैं। मौजूदा पैरा सं. 3(ए)(i)(i) को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशि। साथ ही मौजूदा पैरा सं. 4(सी) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा: बैंक पर्यवेक्षी समीक्षा में सुविधा के लिए थोक जमाराशि ब्याज दर कार्ड अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में बनाए रखेंगे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=11481Mode=0)

गैर–बैंकिंग विनियमन

एनबीएफसी का हार्मोनाइजेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 फरवरी 2019 को एनबीएफसी की तीन श्रेणियों अर्थात एसेट फाइनेंस कंपनियों (एएफसी), लोन कंपनियों (एलसी) और इन्वेस्टमेंट कंपनियों (आईसी) को एनबीएफसी –निवेश और क्रेडिट कंपनी

(एनबीएफसी-आईसीसी) नामक एक नई श्रेणी में विलय करने का निर्णय लिया।विलय का उद्देश्य है एनबीएफसी को अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करना। 22 फरवरी 2019 के बैंक परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या.25/21.06.001/2018-19 द्वारा एनबीएफसी की तीन श्रेणियों अर्थात एएफसी, एलसी और आईसी के लिए बैंक के जोखिम से संबंधित विभिन्न विनियमों को भी हार्मोनाइज किया गया है। आगे, जमा राशि लेने वाली एनबीएफसी-आईसीसी किसी अन्य कंपनी के अनकोटेड शेयरों में निवेश कर सकेगी बशर्ते वह एक सहायक कंपनी या एनबीएफसी के एक ही समूह की कंपनी नहीं होनी चाहिए और निवेश की राशि एनबीएफसी-आईसीसी के स्वामित्व वाले कोष के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हार्मोनाइजेशन एनबीएफसी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक विनियमों का सरलीकरण भी प्रदान करता है। (https://rbi.org.in/ Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11483Mode=0)

एनबीएफसी एक्सपोजर के लिए जोखिम-भार

जैसा कि 7 फरवरी 2019 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में संकेत दिया गया था, रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफसी एक्सपोज़र को कॉरपोरेट्स के समान सेबी द्वारा पंजीकृत रेटिंग और रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग के अनुसार जोखिम भारित किया जाएगा जैसाकि ''कॉर्पोरेट्स, एएफसी और एनबीएफसी-आईएफसी के एक्सपोजर के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स-रिव्यू वेट्स की समीक्षा'' पर 25 अगस्त 2016 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या. 6 / 21.06.001 / 2016-17 के साथ पठित बासल III पूंजी विनियमन पर 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या1/21.06.201/2015-16 के पैरा 5.8.1 के तहत निर्धारित किया गया है और 29 दिसंबर 2017 के मेलबॉक्स स्पष्टीकरण में बताया गया है । रेटेड के साथ ही अनरेटेड सीआईसी के लिए एक्सपोजर का 100 प्रतिशत जोखिम-भारित होना जारी रहेगा। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=11479Mode=0)

वित्तीय समावेशन

एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम

भारत सरकार ने 2 नवंबर 2018 को 'एमएसएमई 2018 के लिए ब्याज मुक्ति योजना' की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2019 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों से अनुरोध किया है कि वे योजना के परिचालनगत दिशानिर्देशों में अपेक्षित उचित कार्रवाई करें और योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए बैंक शाखाओं और बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करें। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11478Mode=0enclosed)

कृषि के लिए ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2010 के बाद से समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को मौजूदा रू 1 लाख से रू1.6 लाख तक बढ़ा दिया। तदनुसार, बैंकों को कृषि ऋण के लिए रू 1.6 लाख तक की मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने के लिए कहा गया है। इस आशय की घोषणा 7 फरवरी, 2019 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के विकास और विनियामकीय नीतियों के वक्तव्य के अनुच्छेद 13 में की गई थी। (https://rbi. org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11469Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना

रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2019 को डिजिटल लेनदेन में शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) अधिसूचित की।भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत शुरू की गई यह योजना, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्थाओं के माध्यम से आयोजित डिजिटल लेनदेन में ग्राहक सेवाओं में कमी के लिए एक लागत-मुक्त और शीघ्र शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगी।बैंकों के माध्यम से की जाने वाली डिजिटल लेनदेन से संबंधित शिकायतों को मौजूदा बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत नियंत्रित किया जाएगा। डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल कार्यालय, बैंकिंग लोकपाल के मौजूदा 21 कार्यालयों से कार्य करेंगे और ग्राहकों की शिकायतों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार से संभालेंगे।योजना एक अपीलीय तंत्र भी प्रदान करती है जिसके तहत शिकायतकर्ता /सिस्टम प्रतिभागी के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लोकपाल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होता है। संपूर्ण योजना का विवरण आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/bsšviewcontent.aspx?Id=3631)

सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2019 को अपनी वेबसाइट पर पूर्वानुमान सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

दिसंबर 2018 दौर का सर्वेक्षण 13 मुख्य शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नैख, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और तिरुवनंतपुरम में कराया गया। इस सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्यआर्थिक परिस्थितियों, रोज़गार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्याय पर उनकी भावनाओं के संबंध में गुणात्मिक प्रतिक्रिया के लिएलगभग 5,347 प्रतिक्रियादाताओं को शामिल किया गया।

मुख्य विशेषताएं

- मौजूदा स्थिति सूचकांक (सीएसआई) में उपभोक्ता विश्वास दिसंबर 2018 दौर में लगभग 2.8 अंक हो गया, हालांकि अभी भी वो निराशावादी क्षेत्र में बना हुआ है।
- भविष्य प्रत्याशा सूचकांक (एफईआई) में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार परिदृश्य के बारे में आशावाद बढ़ गया।
- पिछले कुछ दौर में सामान्य आर्थिक स्थिति पर निराशावाद मौजूदा दौर मेंफंसा लगता है; आगामी वर्ष के लिए दृष्टिकोण भी पहले की तुलना में अधिक आशावादी था।
- हालांकि उपभोक्ता मौजूदा रोजगार स्थिति के बारे में चिंतित हैं, लेकिन बहुसंख्यक भविष्य में सुधार की उम्मीद करते हैं।
- देश में मौजूदा अवधि के साथ-साथ आगामी वर्ष की स्थिति में तीव्र सुधार देखा जा रहा है।
- जबकि उत्तरदाताओं ने बीते वर्ष में अपरिवर्तित आय की रिपोर्ट की है, 60 प्रतिशत से अधिक ने आगामी वर्ष में उनकी आय में वृद्धि की संभावना दिखाई है।
- पिछले दौर में व्यय करने के भाव लगभग अपरिवर्तित रहें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/ PublicationsView.aspx?id=18776)

परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण

मुख्य विशेषताएं

- अगले तीन महीनों में और एक वर्ष आगे के होराइजन में सामान्य कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात नवंबर 2018 दौर के संबंध में तेजी से गिर गया, जिसमें अधिकतर उत्पाद समूहों के संबंध में एक समान पैटर्न और विशेष रूप से खाद्य और गैर-खाद्य के लिए देखा गया था।
- उत्तरदाताओं ने भविष्य की कीमतों में बदलाव की दर के संबंध में अपनी प्रत्याशा को भी नरम रखा।

- मात्रात्मक दृष्टि से, नवंबर 2018 के दौर में उनके रीडिंग से क्रमशः तीन महीने आगे और एक साल आगे की मंहगाई मुद्रास्फीति प्रत्याशा क्रमशः 80 और 130 आधार अंकों (बीपीएस) से कम हो गई।
- उत्तरदाताओं के विभिन्न समूहों में मात्रात्मक प्रत्याशा में गिरावट देखी गई।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18777)

पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण

मैक्रोइकॉनोमिक संकेतक पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण के 56 वें दौर के परिणामों ने संकेत दिया कि: निजी उपभोग के आधार पर 2018-19 और 2019-20 में वृद्धि की संभावना है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ति4: 2018-19 में बढ़ने की उम्मीद है, जो आगे बढ़कर ति3: 2019-20 में 4.0 प्रतिशत से अधिक रहेगी। जनवरी 2019 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के 56 वें दौर में सत्ताइस पैनेलिस्टों ने भाग लिया।

मुख्य-मुख्य बातें:

उत्पादन

- निजी उपभोग में सुधार के चलते 2018-19 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.2 प्रतिशतपर होना अपेक्षित है जबकि 2019-20 में इसमें 10 आधार अंकों (बेसिस प्वांइट) की वृद्धि की उम्मीद है।
- 2018-19 और 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में सकल स्थायी पूंजी निर्माण का अनुपात से जुड़ी निवेश दर में सुधार की उम्मीद है।
- उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गतिविधियाँ के चलते 2018-19 और 2019-20 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 7.0 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत की क्रमशः वृद्धि अपेक्षित है।
- पूर्वानुमानकारों ने 2018-19 और 2019-20 में जीडीपी वृद्धि को अधिकतम संभाव्यता 7.0-7.4 प्रतिशत के श्रेणी में दी है

मुद्रास्फीति

- ति 4: 2018-19 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है और इसके बाद धीरे-धीरे बढ़कर Q3: 2019-20 तक 4.4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।
- खाद्य और पेय पदार्थ, पान, तंबाकू और मादक द्रव्यों एवं ईंधन और प्रकाश को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति ति4: 2018-19 में 5.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है और इसके बाद धीरे-धीरे घटने की संभावना है, हालांकि ति2: 2019-20 तक 5.0 प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद है।
- पूर्वानुमानकर्ताओं ने 2018-19 की चौथी तिमाही और 2019-20 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति को क्रमश: 3.0-3.4 प्रतिशत, 3.0-3.4 प्रतिशत, 3.5-3.9 प्रतिशत और 4.5-4.9 प्रतिशत श्रेणी में उच्चतम संभाव्यता प्रदान की है।

बाह्य क्षेत्र

- 2018-19 के दौरान व्यापार निर्यात और व्यापार आयात में वृद्धि का पूर्वानुमान क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत पर अपेक्षित है, लेकिन 2019-20 में मंदी की उम्मीद हैं।
- 2018-19 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी का 2.4 प्रतिशत पर रहना संभावित है और 2019-20 में सुधार की उम्मीद है।
- 2019-20 के पहली तिमाही तक भारतीय रुपया 70 प्रति अमेरिकी डॉलर रहने की संभावना है । (https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18778)

2018-19 की तीसरी तिमाही के लिए औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर-दिसंबर 2018 में आयोजित विनिर्माण क्षेत्र के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 84वें दौर के परिणाम जारी किए। इस सर्वेक्षण में 2018-19 की तीसरी तिमाही के लिए भारत में विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के कारोबारी परिवेश के गुणवत्ता आकलनों और 2018-19 की चौथी तिमाही के उनकी प्रत्याशाओं को प्राप्त किया गया है। सर्वेक्षण के इस दौर में 1267 कंपनियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई।

मुख्य-मुख्य बातें:

- वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में मांग स्थितियों ने मिली-जुली तस्वीर प्रस्तुत की - उत्पादन और आदेश बहियों के आकलन ने वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही की तुलना में नरमी के संकेत दर्शाए, क्षमता उपयोग के संबंध में प्रतिक्रियाएं पिछली तिमाही के स्तर पर ही बनी रहीं, निर्यात के मामले में, प्रतिक्रियावादियों ने बढ़ता आशावाद व्यक्त किया।
- समग्र वित्तीय स्थिति के संबंध में भावनाएं थोड़ी कम हो गई, जिनमें आंतरिक उपचय तथा बाह्य स्रोतों से वित्त की उपलब्धता पर चिंताएं प्रतिबिंबित हुई हैं।
- जबकि इनपुट लागतें (कच्चे माल और वेतन व्यय पर) सहज हो गई, मूल्यनिर्धारण क्षमता के अभाव में सर्वेक्षण के पिछले दौर की तुलना में लाभ मार्जिन कम हो गया।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में समग्र कारोबारी भावनाओं में नरमी आई, जैसाकि कारोबारी आकलन सूचकांक (बीएआई) में प्रदर्शित हुआ है जो वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही के 110.0 से 2018-19 की तीसरी तिमाही में 107.1 हो गया। वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही की प्रत्याशाओं के संबंध में, प्रतिवादी मांग स्थिति की संभावना पर आशावादी थे।
- समग्र वित्तीय स्थिति से संबंधित भावना में भी वित्त की आसान उपलब्धता की प्रत्याशाओं के कारण सुधार हुआ।
- जबकि बिक्री कीमतों की संभावना पर आशावाद कम हुआ, कम इनपुट लागतों (वित्त, कच्चा माल और वेतन खर्च) के साथ लाभ मार्जिन में सुधार होने की संभावना है।
- कारोबारी प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई) 2018-19 की तीसरी तिमाही के 115.0 से बढ़कर 2018-19 की चौथी तिमाही में 116.2 हो गया। (https://www.rbi. org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18779)

ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - दूसरी तिमाही :2018-19

रिज़र्व बैंक ने जुलाई-सितंबर 2018 की तिमाही के लिए माँग पुस्तिका, सूचीऔर क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस)के 43 वें चक्र के परिणाम जारी किए, जिसमें 945 विनिर्माण कंपनियां शामिल थीं। यह सर्वेक्षण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थितियों का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है

मुख्य विशेषताएं:

- क्षमता उपयोग (सीयू):ति 2: 2018-19 में औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी2) के डी-ट्रेंडेड सूचकांक में बढ़त के साथ - साथ सकल स्तर पर, सीयू बढ़कर 74.8 प्रतिशत हो गया। मौसमी समायोजित सीयू भी, ति 2: 2018-19 में 0.4 प्रतिशतअंक बढ़कर 75.3 प्रतिशत हो गया था।
- ऑर्डरबुक्स: 2018-19 की दूसरी तिमाही में नए ऑर्डरों में वृद्धि धीमी रही।
- बिक्री अनुपात के लिए तैयार माल सूची (एफजीआई):त्योहार के मौसम में मांग अच्छी रहने की उम्मीद में उत्पादकों द्वारा तैयार माल की जमाखोरी कर ली गई होगी जिसके चलते बिक्री में तैयार माल का अनुपात (एफजीआइ टु सेल) पिछली तिमाही के अनुपात की तुलना में बढ़ गया था।
- बिक्री अनुपात के लिए कच्चे माल की सूची (आरएमआई) : 2018-19 की दूसरी तिमाही में बिक्री में हुई वृद्धि के कारण बिक्री में आरएमआइ का अनुपात ट्रेंड लेवल के काफी करीब आ गया था । (https://www.rbi.org.in/Scripts/ PublicationsView.aspx?id=18780)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।